रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 1970/ ज्येष्ठ 20, 1892
No. 102] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 1970/JYAISTHA 20, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 10th June 1970

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April 1970—March 1971—Grant of 'On-account' and 'Imprest' licences/release orders. (Amendment No. 8).*

No. 82-ITC(PN)/70.—As a measure of export promotion, a provision has been made in the import policy for Registered Exporters for the period April 1970—March 1971 *vide* paragraphs 51—55 of Part 'B' of Section I of Voulme II of the Red Book), for the grant of 'On-account' licences/release orders to established manufacturer-exporters having a minimum export performance of more than Rs. 10 lakhs (f.o.b.) during the year 1969-70 in respect of certain specified export products, and for adjustment of the value of such licences in instalments over a period of one year from the date of issue of 'On-account' licence/release order.

2. In order to provide further help to manufacturer-exporters for export production, it has been decided that adjustment of the second half of the value of the 'On-account' licence will be deferred, in the case of those exporters who

improve their export performance by at least 10 per cent in value in respect of the specified product groups during the period of six months from 1st April, 1970 to 30th September, 1970 as compared to the exports pertaining to the same product groups made during the corresponding period of 1969-70. The position will again be reviewed at the end of March, 1971, and adjustment will be further deferred in the case of exporters whose export performance during 1970-71 in the specified product groups continues to be higher by at least 10 per cent over the previous year.

3. The facility provided in para 2 above, will also be given to manufacturer-exporters to whom 'Imprest' licences/release orders are issued in terms of para 49 of Part 'B' of Section I of the Red Book (Vol. II) for the period April 1970-March, 1971 in respect of the same export products as are covered by the scheme of 'On-account' licensing, and who show a similar increase in their export performance.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 10 जून, 1970

विषय :—पंजीकृत आयातकों के लिए अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की अवधि के लिए आयात निति लेखा पर और पेशगी लाईसैंस/बंटन आदेश की स्वीकृति ।

सं० 82-आई० टी० सी० (पी ०एन०)/70 :—निर्यात प्रगति की जांच करते हुए, अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति/रेड बुक के वाल्यूम II खंड 1 के भाग "बी" के अनुच्छेद 51—55 (देखिए) में 'लेखा' लाइसैंस/बंटन आदेश के लिये वे सुस्थापित विनिर्माण करने वाले निर्यातक जिन्होंने कम से कम 10 लाख से अधिक (जहाज तक नि-शुल्क) 1969-70 के वर्ष के दौरान किसी खास किस्म के निर्यात उत्पादकों का निर्यात किया है तथा 'लेखा पर' लाइसैंस /बंटन आदेश जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि से उपर के इस प्रकार के लाइसैंसों के मूल्य को किश्तों में समायोजित करने के लिए एक व्यवस्था की गई है ।

2. निर्यात उत्पादन के लिए विनिर्माण करने वाले निर्यातकों को भी अधिक सहायता देने के लिये यह निश्चित किया गया है कि 'लेखा पर' लाइसैंस के मूल्य के दूसरे आधे भाग के समायोजन को उन निर्यातकों के मामले में जहां-निर्यातक ने खास किस्म के उत्पाद वर्ग में छह मास की अवधि के दौरान जो 1 अप्रैल, 1970 से 30 सितम्बर, 1970 तक है, अपने आयात के उत्पादन में कम से कम दस प्रतिशत की प्रगति की है, उसी उत्पाद वर्ग से संबंधित जो निर्यात उन्होंने तदानुसार 1969—70 की अवधि के दौरान उसके मुकाबले में किया था । अस्थगित कर दिया जाएगा । मार्च, 1971 के अन्त में इसकी स्थिति पर फिर से पुनरीक्षा की जाएगी और उन निर्यातकों के मामले, जिनका निर्यात 1970—71 के दौरान विशेष उत्पाद वर्ग में पिछले वर्ष से कम से कम दस प्रतिशत तक बढ़ाना जारी रहेगा, समायोजन और आगे अस्थगित कर दिया जायेगा ।

3. ऊपर के पैरा दो में दी गई सुविधा भी उन विनिर्माण करने वाले निर्यातकों को दी जायगी, जिनको 'पेशगी' लाइसैंस 'बंटन' आदेश अप्रैल, 1970, मार्च, 1971 रैड बुक के लिए (वाल्यूम II) के अनुच्छेद एक के भाग 'बी' के पैरा 49 की शर्तों के अनुसार 'लेखा पर' लाइसैंस देना के स्कीम में जैसा कि है, उसी प्रकार के निर्यात उत्पादकों के मामले में जारी किए जाते हैं, और उनको, जो उसी प्रकार की प्रगति अपने किए गए निर्यात में दिखाएंगे, सुविधा दी जाएगी ।

आर० ज० रबेलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970